UPMZ010080772026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी– (Garima Singh-I), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224**

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र–3306/2026

1–राहुल पुत्र शीशपाल

2– रितिक पुत्र ओमपाल निवासीगण ग्राम तेजलहेड़ा, थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0 अ 0 सं0– 130/2026

धारा– 191(3),190, 115(2), 352, बी.एन.एस.

थाना–छपार, जिला–मुजफ्फरनगर

दिनांक–29.06.2026

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राहुल व रितिक की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मु0 अ 0 सं0 130/2026, अन्तर्गत धारा 191(3),190, 115(2), 352, बी.एन.एस., थाना छपार, जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण उपरोक्त प्रकरण में वांछित है।

2. आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार यह उनका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा इससे पूर्व कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही विचाराधीन है, न ही निरस्त हुआ है।

3. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा प्रकरण के सम्बन्धित केस डायरी व अन्य सुसंगत प्रलेखो का अवलोकन किया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाने पर दी गयी कि दिनांक 17.06.2026 को लगभग शाम 7 बजे वादी अपने खेत में पशुओ के लिये चारा काट रहा था, तभी गांव के ही राहुल, रितिक, अतुल तथा दो अज्ञात व्यक्ति दो मोटरसाइकिल पर गांव तेजलहेड़ा की ओर से आये तथा गाली–गलौच कर मारपीट की। शोर शराबे पर अन्य लोगो के आने पर हवाई फायरिंग करते हुए भाग गये।

5. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। मुकदमा उपरोक्त में

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.06.30 14:04:07 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court-6
MZN

सात साल से कम की सजा का प्रावधान है। उपरोक्त वाद मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। वादी द्वारा मात्र कहन सुनने के आधार पर घटना को बढ़ाकर चढ़ाकर दर्शाया गया है। उक्त घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का तथाकथित घटना से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। मुकदमा उपरोक्त में किसी को भी चोट नहीं आयी और न ही किसी चुटैल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय द्वारा लगायी गयी सभी शर्तो का पालन करेंगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे न ही साक्ष्यों को प्रभावित करेंगे एवं विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया तथा कथन किया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट की गयी। अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया जाता है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

7. अभियोजन द्वारा केस डायरी का पर्चा संख्या–1 दाखिल किया गया तथा कथन किया गया है कि यह अब तक की सम्पूर्ण केस डायरी है।

8. मैंने उभयपक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ मारपीट व गाली–गलौच करने तथा हवाई फायर करने का आक्षेप है। मामले की विवेचना प्रचलित है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त राहुल पर प्रस्तुत मुकदमे के अतिरिक्त 4 अन्य वाद व अभियुक्त रितिक पर 1 अन्य वाद पंजीकृत है।

9. धारा 438 दंड प्रकिया संहिता में इसका उल्लेख किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण करते समय निम्न बातो पर विचार किया जायेगा–

(I) अभियोग की प्रकृति और गंभीरता

(II) आवेदक का पूर्ववृत्त जिसमे यह तथ्य भी सम्मिलित है कि क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

(III) न्याय से भागने की संभाव्यता और

(IV) जहां आवेदक को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उददेश्य से अभियोग लगाया गया हो।

10. यह विधिक सिद्धान्त है कि अग्रिम जमानत विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप स्वीकार की जा सकती है, जब यह पता चले कि आवेदक पर उसे इस प्रकार गिरफ्तार

कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह विदित हो कि इस अपराध में आवेदक/अभियुक्त पर उसे क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से आरोप लगाया गया है। अतः उपरोक्त विधिक सिद्धान्त एवं अपराध की गम्भीरता एवं अपराध में अभियुक्त के प्रथम दृष्टया संलिप्त होने तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त नहीं है, तथा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण राहुल व रितिक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(गरिमा सिंह प्रथम)

अपर जनपद व सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–06, मुजफ्फरनगर।
J.O. Code –UP06224